

# A VISION FULFILLED A FUTURE AWAKENED



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT - 2005-06



## निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री एम बी एन राव अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Shri. M. B. N. Rao Chairman & Managing Director



श्री आलोक कुमार मिश्रा कार्यपालक निदेशक SHRI. ALOK KUMAR MISRA Executive Director



श्री जी सी चतुर्वेदी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक SHRI. G. C. CHATURVEDI Director representing Government of India



श्री जी श्रीनिवासन भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक SHRI. G. SRINIVASAN Director representing Reserve Bank of India



श्री आर के अवस्थी कामगार-इतर कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक SHRI. R. K. AVASTHI Director representing other than Workmen Employees



श्री ए एन बालसुब्रमणियन कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक SHRI, A. N. BALASUBRAMANIAN Director representing Workmen Employees



श्री एस शब्बीर पाशा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक SHRI. S. SHABBEER PASHA Part-time Non-Official Director



श्री पंकज गोपालजी उक्कर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक SHRI. PANKAJ GOPALJI THAKKER Part-time Non-Official Director



डॉ. सोनेलाल शेयरधारक निदेशक DR. SONE LAL Shareholder Director



श्री एम पी मेहरोत्रा शेयरधारक निदेशक SHRI. M. P. MEHROTRA Shareholder Director



श्री एस सी गुप्ता शेयरधारक निदेशक SHRI. S. C. GUPTA Shareholder Director



श्री यू एन कपूर शेयरधारक निदेशक SHRI. U. N. KAPUR Shareholder Director



वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT- 2005-06



# वार्षिक रिपोर्ट 2005-2006 ANNUAL REPORT 2005-2006

## विषय वस्तु / CONTENTS

नोटिस2
प्रगति की एक ज्ञलक
निदेशकों की रिपोर्ट 2005-069
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 10
आर्थिक परिवेश10
मौद्रिक व बैंकिंग प्रगतिविधियां 10
केनरा बैंक 2005-06 में 12
वित्तीय कार्यनिष्पादन
कारोबार विकास14
राजकोष एव अंतर्राष्ट्रीय परिचालन
अन्य सेवाएं 17
आस्ति गुणवत्ता एवं जोखिम प्रबंधन
राष्ट्रीय प्राथमिकताएं
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
संगठन तथा सहायता सेवाएं
अनुषंगियां, प्रायोजित संस्थाएं और संयुक्त उद्यम 30
नए उत्पाद एवं सेवाएं
पुरस्कार / उपलब्धियां
निदेशक मंडल में परिवर्तन
निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य
धन्यवाद
कार्पोरेट गवर्नन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट 36
कार्पोरेट गवर्नन्स पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र 52
केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण53
समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण
उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र 113
प्रॉक्सी फार्म

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	age
NOTICE	2
PROGRESS AT A GLANCE	8
DIRECTORS' REPORT 2005-06	9
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	10
Economic Environment	10
Monetary and Banking Developments	10
CANARA BANK in 2005-2006	12
Financial Performance	12
Business Growth	14
Treasury and International Operations	16
Other Services	17
Asset Quality and Risk Management	18
National Priorities	20
Corporate Social Responsibility	22
Organization and Support Services	24
Subsidiaries, Sponsored Entities and Joint Ventures	30
New Products and Services	33
Awards and Accolades	33
Changes in the Board of Directors	34
Directors' Responsibility Statement	34
Acknowledgment	35
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE.	36
AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	52
BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK	53
CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT ANDLOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT	88
ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS	113
DDOVA/ FORM	445

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT- 2005-06

## केनरा बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय नं.112, जे.सी.रोड, बेंगलुर - 560 002

### CANARA BANK

(A Govt. of India Undertaking)
Head Office
No.112, J.C.Road, Bangalore - 560 002

## नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक सामान्य बैठक शुक्रवार को 23.6.2006, 4.00 बजे चौडय्या मेमोरियल हॉल, जी डी पार्क एक्सटेंशन, वैयालीकावल, बेंगलूर - 560 003 में किया जाएगा जिसका उद्देश्य है निम्नांकित कारोबार संचालन करना :

- 1. "यथा 31 मार्च 2006 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे पर , तुलन पत्र व लेखों पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अविध के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना"
- 2. निम्नांकित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 तथा भारतीय रिजर्व बैंक , भारत सरकार, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमित और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन तथा उन स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सुचीकरण किया गया है , एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में , इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेत् बोर्ड द्वारा गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि प्रस्ताव के दस्तावेज/नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए ईक्विटी शेयरों का निर्माण करें, जारी करें और आबंटन करें (इश्यु के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सिहत) तथा एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों (''क्युआईबी'') जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (''एफ आई आई'') या



### **Notice**

Notice is hereby given that the Fourth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Friday, the 23.6.2006 at 4.00 P.M. at Chowdiah Memorial Hall, G D Park Extension, Vyalikaval, Bangalore-560 003, to transact the following business:

- "To discuss the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2006, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2006, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts."
- "To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the Regulations / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted) by way of an offer document/prospectus or such other document, such number of equity shares of the face value of Rs.10/- each and in any case not exceeding 17 crores (Seventeen crores) and aggregating to not more than Rs.170 crores (Rupees One Hundred seventy crores), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one

### वार्षिक रिपोर्ट ANNIIAI BEPORT- 2005-06



अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार वैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गये तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मुल्य पर बट्टा या प्रीमियम सहित प्रत्येक रु.10/ - के अंकित मुल्य के उतनी संख्या में ईक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित करें जो किसी भी हालत में 17 करोड़ (सत्रह करोड़) से ज्यादा न हो और जिसकी कुल राशि रु.170 करोड़ (एक सौ सत्तर करोड़) से ज्यादा न हो.

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्य , साधिकार इश्यु, अधिमानी इश्यु और/या निजी प्लेसमेन्ट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेन्ट और आबंटन , बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शतों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पुरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे.

आगे संकल्प किया जाता है कि अई संस्थागत खरीदारों और गैर-संस्थागत बोली लगानेवालों की तुलना में मौजूदा खुदरा शेयरधारकों, खुदरा व्यक्तिगत बोली लगानेवालों और बैंक के कर्मचारियों को विभेदक निम्न मुल्य पर अथवा बैंक द्वारा निर्णय लिये अनुसार ऐसे बट्टे पर ईक्विटी शेयर का आबंटन करने का निदेशक मंडल को अधिकार होगा.

आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजुरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ सेबी या अन्य समृचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को पाधिकार होगा.

आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों को नए ईक्विटी शेयर जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा.

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को , बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके , जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग , प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित) शेयरों के निर्गम पर बट्टा , रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतदुद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), companies, private or public, investment institutions, societies, trusts, research organisations, qualified institutional buyers ("QIBs") such as banks, financial institutions. Indian mutual funds, venture capital funds, foreign venture capital investors, state industrial development corporations, insurance companies, provident funds, pension funds, development financial institutions, foreign institutional investors ("FIIs"), or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without overallotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, SEBI Guidelines in force, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to allot the Equity shares to Existing Retail Shareholders, Retail Individual bidders and Employees of the Bank at a differential lower price as compared to QIBs and Non-Institutional bidders or at such discount decided by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign entities/funds be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price

### वार्षिक रिपोर्ट ANNIIAI REPORT- 2005-06



आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा,जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है.

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने , जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें आर ईक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है , जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत जरूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा -

आगे संकल्प किया जाता है कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को , बिना कोई अतिरिक्त सहमित या अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा के , अपने विवेकाधिकार के तहत जैसा वह उचित समझे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने और सभी प्रश्नों और समस्याओं का निवरण करने हेत् एतदृद्वारा प्राधिकृत किया जाता है -

आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को , उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके जरिए दियं गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक अथवा निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकत किया जाता है -

एय की एन राव

स्थान : बेंगलुर दिनांक: 22.05.2006

एन बी एन राव अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

#### 1. व्याख्यात्मक वक्तव्य :

चुकता पूँजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 2 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दशनिवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है ।

#### 2. प्रतिनिधि की नियुक्ति :

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेत् प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन

(including premium, if any), or discount on issue of shares, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India as the Board in its absolute discretion deems fit.

RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.

**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things and to settle all questions and difficulties as it may, in its absolute discretion deem fit, without being required to seek any further consent or approval.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or the Executive Director to give effect to the aforesaid Resolution."

Place: Bangalore Date: 22.05.2006

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

M B N RAO

**NOTES** 

#### 1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item 2 of the Notice regarding Raising of paid up capital is annexed below.

#### 2. APPOINTMENT OF PROXY:

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote instead of himself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form in order to be effective, must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of वार्षिक रिपोर्ट ANNIIAI REPORT- 2005-06



पहले अर्थात् 17.06.2006 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए ।

#### 3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कार्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् 17.06.2006 को या वह दिन समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है।

#### 4. उपस्थिति पर्ची :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची - सह प्रविध्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है । शेयरधारकों/प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि/ प्राधिकृत प्रतिनिधि पर 'प्रतिनिधि' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थित पर्ची में करें ।

#### 5. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयर<mark>धारकों</mark> से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

> कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड "कार्वी हाऊस", नं.46, अवेन्यू IV स्ट्रीट नं.1, बंजारा हिल्स हैदराबाद - 500 034

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें।

#### 6. बहियों को बंद करना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 16.06.2006 से 23.06.2006 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रखा जाएगा।

#### 7. लाभांश का भूगतान :

बैंक ने वर्ष 2005-06 के लिए 66% का लाभांश घोषित किया है तथा साथ ही उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/यथा 15.06.2006 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी हैं और यह लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर भेजा जाएगा।

the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 17.06.2006.

#### 3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on 17.06.2006.

#### 4. ATTENDANCE SLIP:

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cumentry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

#### 5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd "Karvy House", No.46, Avenue IV Street No.1, Banjara Hills HYDERABAD – 500 034

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

#### 6. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 16.06.2006 to 23.06.2006 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

#### 7. PAYMENT OF DIVIDEND:

The Bank has declared a dividend of 66%, for the year 2005-2006 and also it has been decided to pay the dividend to the shareholders whose names appear on the Register of Members / beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on 15.06.2006 and the same shall be mailed within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT- 2005-06



#### 8. फोलियो का समेकन :

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि हमारे रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों के खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाण पत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी होल्डिंग का एक खाते में समेकन किया जा सके । आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाण पत्र वापस किए जाएंगे।

#### 9. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ।

#### 10. शेयरधारकों का मतदान अधिकार :

केनरा बैंक के शेयरधारकों का मतदान अधिकार , केनरा बैंक सामान्य विनियमावली 2000 के विनियम 68(i) में प्रतिपादित किया है । हरेक शेयर धारक को, जो वार्षिक सामान्य बैठक के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है , हाथ दिखाकर मतदान करने के लिए एक मत प्राप्त होगा और चुनाव के मामले में उनके द्वारा धारित प्रति शेयर के लिए एक मत प्राप्त होगा ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।

### नोटिस की मद संख्या 2 के सामने उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

- मुख्य रूप से अपने दीर्घाविध संसाधनों को बढ़ाने और पूँजी पर्याप्तता अनुपात को 12 प्रतिशत के आसपास रखने के लिए नवंबर 2002 में बैंक ने अपने आईपीओ को सफलतापूर्वक संपन्न किया और प्रति शेयर रु.25/- के प्रीमियम के साथ रु.10/- के 11 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी करके रु.385 करोड़ जुटाया।
- 2. यथा 31 मार्च, 2006 को बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 11.22% है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% से काफी ऊँचा है। तथापि विस्तार करने की बैंक की कुछ योजनाओं और बेसल II मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामस्वरूप पूँजी प्रभार के आलोक में पूँजी पर्याप्तता अनुपात को और भी बढ़ाने की जरूरत है।
- 3. बैंक, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम की धारा 3 (2बी)(सी) के अनुसार चुकता पूँजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि केन्द्र सरकार हमेशा बैंक की पूँजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी।
- 4. सूचीकरण करार (बैंक एवं स्टॉक एक्स्चेंज के बीच) की धारा 23 की उप धारा (क) में प्रावधान है कि बैंक द्वारा आगे जब कभी कोई प्रस्ताव या निर्गम किया जाता है, यदि शेयरधारक सामान्य बैटक में अन्यथा निर्णय न लें. उसे

#### 8. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

#### 9. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the AGM.

#### 10. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

The voting rights of shareholders of Canara Bank have been enunciated in Regulation 68 (i) of the Canara Bank General Regulations 2000. Each shareholder who has been registered as a share holder as on the date of the closure of the Register prior to date of Annual General Meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

## EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE

- In November 2002, the Bank successfully completed its IPO and raised Rs. 385 crores by the issue of 11 crore equity shares of Rs.10/- each at a premium of Rs. 25 per share, primarily to augment long term resources and maintain a capital adequacy ratio of around 12 per cent.
- 2. The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on March 31, 2006 is 11.22%, and well above the 9% stipulated by the Reserve Bank of India. However in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL II norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.
- 3. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty-one per cent of the paid-up capital of the Bank.



यथानुपात मौजूदा शेयरधारकों को उपलब्ध कराया जाए । उक्त संकल्प यदि पारित हो जाता है तो बैंक की ओर से निदेशक मंडल को मौजूदा शेयरधारकों को यथानुपात आधार पर निर्गम के अलावा भी प्रतिभूति जारी और आबंटित करने दिया जाएगा ।

- 5. यह संकल्प, सार्वजिनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेन्ट द्वारा ईिक्वटी शेयर प्रदान करने, जारी करने एवं आबंटित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाएगा । इश्यू की आगम राशि से बैंक समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पूँजी पर्याप्तता संबंधी अपनी अपेक्षाओं को पुरा कर पाएगा ।
- 6. यह संकल्प , सेबी डीआईपी दिशानिर्देशों में पारिभाषित अनुसार अर्ह संस्थागत खरीदारों के यहाँ अर्ह संस्थागत प्लेसमेन्ट करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार देता है । निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार के अधीन शेयरधारकों से नये सिरे से अनुमोदन प्राप्त किये बगैर बैंक के लिए निधियाँ जुटाने हेतु सेबी डीआईपी दिशानिर्देशों के अध्याय XIIIए में निर्धारित तंत्र को भी अपना सकता है ।
- 7. प्रस्ताव की विस्तृत शर्तों को सलाहकार, लीड प्रबंधक और हामीदार एवं ऐसे अपेक्षित अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके बाजार की प्रचलित स्थिति एवं अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा ।
- 8. चूँकि प्रस्ताव का मूल्यिनधिरण बाद में कभी ही किया जा सकता है, जारी किये जानेवाले शेयर का मूल्य बताना संभव नहीं है । किंतु वह, समय समय पर यथा संशोधित सेबी ठीआईपी दिशानिर्देशों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 अथवा अन्य किसी दिशानिर्देशों/विनियमों/ सहमित के प्रावधानों के अनुसार होगा जोकि लागू हो अथवा अपेक्षित हो ।
- 9. उक्त कारणों से, इश्यू की शातों को अंतिम रूप देने के लिए निदेशक मंडल को पर्याप्त लचीलापन एवं निर्णयाधिकार प्रदान करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक संकल्प पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है ।
- 10.जारी किये गये ईिक्वटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा ईिक्वटी शेयरों के समतुल्य होंगे ।

इस प्रयोजन के लिए बैंक को एक संकल्प के जरिए शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करनी होगी। इसलिए उक्त प्रस्ताव के लिए आपकी सहमति हेतु अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल, नोटिस में उल्लिखित अनुसार संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक का कोई भी निदेशक उक्त संकल्पों में हितबद्ध या संबद्ध नहीं है।

- 4. Sub-Clause (a) of Clause 23 of Listing Agreement (between Bank and stock exchange) provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.
- 5. The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- 6. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by SEBI DIP Guidelines. The Board of Directors, may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter XIIIA of the SEBI DIP Guidelines for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.
- 8. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI DIP Guidelines, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
- For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s).



## प्रगति को एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि रुपये करोडों में)/ (Amt. in Rs. Crore)

	(राश रुपय कर	ाडा म)/ (Amt.	in Ks. Crore)
	2003-04	2004-05	2005-06
शाखाओं की संख्या / No. of branches	2469	2513	2532
पूंजी / Capital	410	410	410
आरक्षितियां / Reserves	4842	5699	6722
नेटवर्थ / Networth	5131	5992	7019
निक्षेप / Deposits	86345	96796	116803
% वृद्धि/ % Growth	19.77	12.1	20.67
अनिवासी जमाएं / Non-Resident Deposits	12909	12476	12894
विदेशी व्यापार पण्यावर्त / Foreign Business Turnover	67347	84517	98665
अग्रिम (निवल) / Ádvances (Net)	48439	60421	79426
% বৃত্তি / % Growth	19.69	24.74	31.45
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम / Advances to Priority Sector	19580	24777	30937
% वृद्धि / % Growth	34.07	26.54	24.86
কৃষি / Agriculture	6545	8782	12032
कृषि (संवितरण) / Agriculture (Disbursal)	4103	5401	7211
लघु व मध्यम उद्यम / Small and Medium Enterprises (SMEs)	8835	10295	12422
खुदरा उधार (संवितरण)/ Retail Lending (Disbursal)	4438	6015	7362
खुदरा उधार / Retail Lending	8041	11277	14552
निवल ऋण के प्रति % / % to Net Credit	16.46	18,45	18.55
वि ब्या द योजना के अधीन अग्रिम / Advances under DIR Scheme	38	69	49
अ जा / अ ज जा को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	758	1043	1332
निर्यात साख / Export Credit	5497	6183	7136
जमा खाते (मिलियन में) / Deposit Accounts (In Million)	22.48	23.06	24.17
उधार खाते (मिलियन में) / Borrowal Accounts (In Million)	2.88	3.22	3.52
कुल कर्मचारी / Total No. of Staff	47613	47389	46893
कुल आय / Total Income	9080	9116	10089
कुल व्यय / Total Expenditure	6221	6531	7477
परिचालन लाभ / Operating Profit	2859	2585	2612
निवल लाभ / Net Profit	1338	1110	1343
महत्वपूर्ण अनुपात ( % ) / IMPORTANT R	ATIOS (%)		
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	12.66	12.78	11.22
आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets (RoA)	1.34	1.01	1.01
अर्जन प्रति शेयर (रु) / Earning per Share (Rs.)	32.63	27.06	32.76
बही मृत्य (रु) / Book Value (Rs.)	125.14	146.15	171.19
लाभांश / Dividend (%)	50	55	66
निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio	2.89	1.88	1.12
निवल साख के प्रति प्रथमिकता साख / Priority Credit to Net Credit	43.93	43.11	41.39
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ों में) / Business Per Employee (Rs. In Crore)	3.00	3.51	4.42
प्रति कर्मचारी लाभ (रु. लाखों में) / Profit Per Employee (Rs. In Lakh)	2.97	2.48	3.02
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	56.10	62.42	68.00
THE COURT ENGINEET AND PROPERTIONS	55.10	WEST A	55.56